

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 86

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	204822.2	12.52	204834.76	198026.1	100.00	198126.19	337396.53	...	337396.53	234019.08	...	234019.08
	4			9								
<b>वसूलियां</b>	-82736.57	...	-82736.57	-77979.00	...	-77979.00	-140020.00	...	-140020.00	-102500.00	...	-102500.00
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	122085.6			120047.1								
	7	12.52	122098.19	9	100.00	120147.19	197376.53	...	197376.53	131519.08	...	131519.08
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	47.84	...	47.84	48.76	...	48.76	48.76	...	48.76	53.08	...	53.08
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण	141.38	...	141.38	367.46	...	367.46	341.44	...	341.44	364.38	...	364.38
3. लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपाट) के लिए अनुदान	19.07	...	19.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	80.42	...	80.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>240.87</b>	...	<b>240.87</b>	<b>367.47</b>	...	<b>367.47</b>	<b>341.45</b>	...	<b>341.45</b>	<b>364.39</b>	...	<b>364.39</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद	...	...	...	124.00	...	124.00	80.50	...	80.50	124.00	...	124.00
<b>अन्य</b>												
7. ग्रामीण विकास भवन	...	12.52	12.52	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...
8. व्यय कटौती के फलस्वरूप समायोजित वसूलियां	-41.85	...	-41.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-41.85</b>	<b>12.52</b>	<b>-29.33</b>	...	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>-41.85</b>	<b>12.52</b>	<b>-29.33</b>	<b>124.00</b>	<b>100.00</b>	<b>224.00</b>	<b>80.50</b>	...	<b>80.50</b>	<b>124.00</b>	...	<b>124.00</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</b>												
9. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	6193.39	...	6193.39	6259.08	...	6259.08	8286.74	...	8286.74	6259.08	...	6259.08
10. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	481.39	...	481.39	622.70	...	622.70	481.07	...	481.07	622.69	...	622.69
11. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यू पीएस)	1774.94	...	1774.94	1938.79	...	1938.79	2524.80	...	2524.80	1938.80	...	1938.80
12. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	234.49	...	234.49	297.37	...	297.37	346.54	...	346.54	297.37	...	297.37
13. अन्नपूर्णा योजना	5.53	...	5.53	62.84	...	62.84	6.00	...	6.00	62.84	...	62.84
14. प्रशासनिक व्यय	2.68	...	2.68	16.14	...	16.14	15.09	...	15.09	19.22	...	19.22
15. पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों के लिए डीबीटी	...	...	...	...	...	...	30956.98	...	30956.98	...	...	...
<b>जोड़-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</b>	<b>8692.42</b>	...	<b>8692.42</b>	<b>9196.92</b>	...	<b>9196.92</b>	<b>42617.22</b>	...	<b>42617.22</b>	<b>9200.00</b>	...	<b>9200.00</b>
<b>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम</b>												
16. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	71687.71	...	71687.71	61500.00	...	61500.00	111500.00	...	111500.00	73000.00	...	73000.00
17. मनरेगा- कार्यक्रम घटक	71686.69	...	71686.69	61500.00	...	61500.00	111500.00	...	111500.00	73000.00	...	73000.00
18. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	-71687.70	...	-71687.70	-61500.00	...	-61500.00	-111500.00	...	-111500.00	-73000.00	...	-73000.00
<b>जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम</b>	<b>71686.70</b>	...	<b>71686.70</b>	<b>61500.00</b>	...	<b>61500.00</b>	<b>111500.00</b>	...	<b>111500.00</b>	<b>73000.00</b>	...	<b>73000.00</b>
<b>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना</b>												
19. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
19.01 केन्द्रीय सड़क निधि/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	11007.02	...	11007.02	10000.00	...	10000.00	9020.00	...	9020.00	10000.00	...	10000.00
19.02 पीएमजीएसवाई- कार्यक्रम घटक	9442.91	...	9442.91	14979.00	...	14979.00	10408.83	...	10408.83	11993.50	...	11993.50
19.03 पीएमजीएसवाई- ईएपी घटक	3010.47	...	3010.47	1241.00	...	1241.00	1017.40	...	1017.40	506.50	...	506.50
19.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1780.00	...	1780.00	1780.00	...	1780.00	1500.00	...	1500.00
19.05 वामपंथी उपवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	1564.10	...	1564.10	1500.00	...	1500.00	500.00	...	500.00	1000.00	...	1000.00
19.06 घटाएँ केन्द्रीय सड़क/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से पूरी की गई राशि	-11007.02	...	-11007.02	-10000.00	...	-10000.00	-9020.00	...	-9020.00	-10000.00	...	-10000.00
<i>निवल</i>	<i>14017.48</i>	...	<i>14017.48</i>	<i>19500.00</i>	...	<i>19500.00</i>	<i>13706.23</i>	...	<i>13706.23</i>	<i>15000.00</i>	...	<i>15000.00</i>
<b>राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका</b>												
20. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
20.01 एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक	8594.12	...	8594.12	7886.04	...	7886.04	7886.04	...	7886.04	11613.34	...	11613.34
20.02 एनआरएलएम- ईएपी घटक	428.32	...	428.32	446.00	...	446.00	446.00	...	446.00	773.89	...	773.89
20.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	878.00	...	878.00	878.00	...	878.00	1290.38	...	1290.38
<b>जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</b>	<b>9022.44</b>	...	<b>9022.44</b>	<b>9210.04</b>	...	<b>9210.04</b>	<b>9210.04</b>	...	<b>9210.04</b>	<b>13677.61</b>	...	<b>13677.61</b>
<b>श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन</b>												
21. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	303.75	...	303.75	600.00	...	600.00	372.33	...	372.33	600.00	...	600.00
<b>प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
22. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण												
22.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	19500.00	...	19500.00	19500.00	...	19500.00
22.02 पीएमएवाई- कार्यक्रम घटक	16501.59	...	16501.59	16600.00	...	16600.00	16895.00	...	16895.00	16999.99	...	16999.99
22.03 ईवीआर ऋणों के लिए नावार्ड को ब्याज भुगतान	1565.88	...	1565.88	2800.00	...	2800.00	2600.00	...	2600.00	2500.00	...	2500.00
22.04 ब्याज सन्निडी	48.55	...	48.55	100.00	...	100.00	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01
22.05 घटाएँ केंद्रीय सड़क/केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	-19500.00	...	-19500.00	-19500.00	...	-19500.00
<i>निचल</i>	18116.02	...	18116.02	19500.00	...	19500.00	19500.00	...	19500.00	19500.00	...	19500.00
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>121838.81</b>	...	<b>121838.81</b>	<b>119506.96</b>	...	<b>119506.96</b>	<b>196905.82</b>	...	<b>196905.82</b>	<b>130977.61</b>	...	<b>130977.61</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>122085.67</b>	<b>12.52</b>	<b>122098.19</b>	<b>120047.19</b>	<b>100.00</b>	<b>120147.19</b>	<b>197376.53</b>	...	<b>197376.53</b>	<b>131519.08</b>	...	<b>131519.08</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	12.52	12.52	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	...	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>	...	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	...	...	...	...	...	...
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. आवास	1677.16	...	1677.16	3021.00	...	3021.00	2684.00	...	2684.00	2599.86	...	2599.86
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2.68	...	2.68	21.48	...	21.48	30977.07	...	30977.07	24.56	...	24.56
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1679.84</b>	...	<b>1679.84</b>	<b>3042.48</b>	...	<b>3042.48</b>	<b>33661.07</b>	...	<b>33661.07</b>	<b>2624.42</b>	...	<b>2624.42</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
4. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2332.01	...	2332.01	1867.33	...	1867.33	2217.88	...	2217.88	2119.67	...	2119.67
5. ग्रामीण रोजगार	71679.30	...	71679.30	61500.00	...	61500.00	111500.00	...	111500.00	73000.00	...	73000.00
6. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	253.03	...	253.03	508.12	...	508.12	419.55	...	419.55	561.01	...	561.01
7. सड़क और पुल	21.63	...	21.63	135.72	...	135.72	150.18	...	150.18	197.82	...	197.82
8. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	47.78	...	47.78	48.76	...	48.76	48.76	...	48.76	53.08	...	53.08
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>74333.75</b>	...	<b>74333.75</b>	<b>64059.93</b>	...	<b>64059.93</b>	<b>114336.37</b>	...	<b>114336.37</b>	<b>75931.58</b>	...	<b>75931.58</b>
<b>अन्य</b>												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5608.35	...	5608.35	5240.35	...	5240.35	5747.78	...	5747.78
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	45617.91	...	45617.91	46501.72	...	46501.72	42057.92	...	42057.92	45657.51	...	45657.51
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	454.17	...	454.17	834.71	...	834.71	2080.82	...	2080.82	1557.79	...	1557.79
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>46072.08</b>	...	<b>46072.08</b>	<b>52944.78</b>	...	<b>52944.78</b>	<b>49379.09</b>	...	<b>49379.09</b>	<b>52963.08</b>	...	<b>52963.08</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>122085.67</b>	<b>12.52</b>	<b>122098.19</b>	<b>120047.19</b>	<b>100.00</b>	<b>120147.19</b>	<b>197376.53</b>	...	<b>197376.53</b>	<b>131519.08</b>	...	<b>131519.08</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>आवासीय</b>												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	...	10811.02	10811.02	...	10000.00	10000.00	...	20000.00	20000.00	...	17867.00	17867.00
<b>जोड़-आवासीय</b>	...	<b>10811.02</b>	<b>10811.02</b>	...	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>	...	<b>20000.00</b>	<b>20000.00</b>	...	<b>17867.00</b>	<b>17867.00</b>
<b>जोड़</b>	...	<b>10811.02</b>	<b>10811.02</b>	...	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>	...	<b>20000.00</b>	<b>20000.00</b>	...	<b>17867.00</b>	<b>17867.00</b>

- सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण:** इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र के सुदृढीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपाटी) के लिए अनुदान:** कपाटी का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को शामिल करना है। वित्त वर्ष 2020-21 से इस स्कीम का विलय अन्य केन्द्रीय व्यय के तहत एनआईआरडी एवं वीआर के साथ कर दिया गया है।
- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान अभावग्रस्त जीवन बसर करने वाले उन ग्रामीण परिवारों के निर्धारण के लिए एसईसीसी जनगणना कराने के लिए है, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध के लिए एक शीर्षस्थ संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है। वित्त वर्ष 2020-21 से इसे अन्य केन्द्रीय व्यय के तहत शामिल कर लिया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध के लिए एक शीर्षस्थ संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।
- ग्रामीण विकास भवन:** कार्यालय का निर्माण करने के लिए ग्रामीण विकास भवन हेतु प्रावधान किया गया है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति को सहायता दी जाती है। 60-79 वर्ष की

आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 200 रुपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

10. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर परिवार एकमुश्त सहायता प्राप्त करने का हकदार है। सहायता की राशि 20,000 रु. है।

11. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यून पीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

12. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निश्चिन्ता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) : इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की निश्चिन्ताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

13. **अन्नपूर्णा योजना:** इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों, जो आईजीएनओएपीएस के तहत पात्र तो हैं, किन्तु आईजीएनओएपीएस के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

14. **प्रशासनिक व्यय:** वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निश्चिन्त व्यक्तियों और आय अर्जनकर्ता की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों के लिए एनएसएपी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अथवा भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है।

17. **मनरेगा- कार्यक्रम घटक:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) का लक्ष्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। पहले चरण में, महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन 02 फरवरी, 2006 से 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में किया गया था तथा इसके पश्चात 01 अप्रैल, 2007 तथा 15 मई, 2007 से क्रमशः 113 तथा 17 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार किया गया था। शेष जिलों को 01 अप्रैल, 2008 से इस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। इस प्रकार इस

अधिनियम में अब देश के सभी ग्रामीण जिले शामिल हैं। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं। मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी कार्य उपलब्ध कराकर निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊ स्वरूप की उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना; गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती प्रदान करना; सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाना।

19. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) केंद्रीय सरकार द्वारा 500 व्यक्तियों या इससे अधिक आबादी वाले कोर नेटवर्क तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में विशेष श्रेणी के राज्यों में 250 व्यक्तियों या से अधिक आबादी वाली सड़क संपर्क से न जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों की सुविधा प्रदान करने के लिए सन् 2000 में प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ से अब तक कुल 1,70,034 बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

इसके पश्चात वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के उन्नय और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के अंतर्गत नई सहायक योजनाएं अर्थात् पीएमजीएसवाई-II, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना और पीएमजीएसवाई-III शामिल की गई थी।

शुरू से 20 जनवरी, 2021 तक पीएमजीएसवाई को विभिन्न सहायक योजनाओं के अंतर्गत कुल 7,47,990 कि.मी. लम्बी सड़क को स्वीकृति दी गई है और 6,43,999 कि.मी. पूरी कर दी गई है। इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को भागीदारी से पीएमजीएसवाई के सभी चालू घटकों को पूरा करने के लिए मार्च, 2025 तक प्रत्येक वर्ष 19000 करोड़ रुपए की निरंतर सहायता अपेक्षित है।

20.01. **एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक:** दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का शुभारंभ जून, 2011 में किया गया था। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्व-सहायता समूह (एसएचजी) में संगठित करना है एवं एक समयावधि के भीतर आय में उचित वृद्धि प्राप्त करने तक उनकी सहायता करना है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उनकी गरीबी दूर करना है। डीएवाई-एनआरएलएम 10 वर्ष की अवधि के अंदर एक चरणबद्ध रूप से अनुमानित 8.0 से 10.0 करोड़ सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों को उनके आजीविका कार्यक्रमों में सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य वित्तीय सहायता परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) है। डीएवाई-एनआरएलएम में बैंकों से 7 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से 3 लाख रु. तक का ऋण प्राप्त करने के लिए महिला एसएचजी को व्याज सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। चयनित 250 पिछड़े जिलों में यदि ऋण का पुनर्भुगतान सही समय पर कर दिया जाता है तो व्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत करते हुए अतिरिक्त व्याज सहायता दी जाती है।

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी वाले प्रत्येक प्रायोजक बैंक को पात्र उम्मीदवारों (ग्रामीण गरीब) के प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति करने के अलावा आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान दी जाती है।

21. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन:** श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन (एसपीएमआरएम) का उद्देश्य एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी ढांचे का वितरण, आर्थिक गतिविधियों का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास करना है। यह मिशन गांवों के एक समूह के विकास की दृष्टि का अनुसरण करता है जो मूलतः शहरी प्रकृति में माना जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समानता और समग्रता पर ध्यान केंद्रित किए बिना ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषित करता है, इस प्रकार रबन गांवों का एक क्लस्टर बनाना। इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और योजनाबद्ध रूप से रूबिन समूह बनाना है।

परियोजना घटकों के कार्यान्वयन को एकीकृत और अभिसरण करके पांच वर्षकी निर्धारित समय सीमा में परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके बाद 10 साल की ऑपरेशन और मेंटेनेंस अवधि होगी। इस परियोजना को मिशन के तहत वित्तपोषण की एक इकाई

माना जाएगा। परियोजना के लिए धन विभिन्न मध्य क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जुटाया जाएगा। यह मिशन विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जुटाए गए धन को पूरा करने के लिए परियोजना को क्रिटिकल गैप फंडिंग (सीजीएफ) प्रदान करेगा। अनिवार्य 300 समूहों में से 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों पर 296 समूहों की पहचान की गई है और उन्हें अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, राज्यों के साथ गहन जुड़ाव के माध्यम से, 288 एकीकृत क्लस्टर कार्य योजनाएं (आईसीएपी), जो प्रत्येक क्लस्टर के लिए निवेश के ब्लू प्रिंट हैं, को 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 27,983 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है।

22. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण:** वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार 1 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रही है। पीएमएवाई-जी के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2019 तक 1.00 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण, स्थानीय अनुकूल आवास डिजाइन टाइपोलॉजी का विकास तथा विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए विशिष्ट संरचना के कारण गुणवत्ता युक्ति आवासों और समय पर निर्माण कार्य पूरा करना संभव हुआ है। मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ आवास वंचित परिवारों को पीएमएवाई-जी के तहत रखने पर विचार किया था। इसके अलावा पहले चरण में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्ष की अवधि के दौरान 1.00 करोड़ आवासों का निर्माण प्रारंभ किया गया था। शेष 1.95 करोड़ परिवारों को केन्द्रीय सरकार के लिए 1,56,634 करोड़ रु. के वित्तीय निहितार्थ के साथ अगले तीन वर्षों (अर्थात् 2019-20 से 2021-22 तक) शामिल किया जाना है।